

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना दिनांक-20.8.19

संख्या-18(प्रो0को0)/ए0सी0पी0-01-02/2019 136(4) अ) स्वा0 बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के कुल 5 (पाँच) निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों/चिकित्सक शिक्षकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -

क्रमांक	चि0पदा0 का नाम	वरीयता कमांक 2008	जन्म तिथि	प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि	प्रथम ए0सी0पी0 की देय तिथि/वेतनमान-10000-15200	द्वितीय ए0सी0पी0 देय तिथि/वेतनमान-12000-16500
1	2	3	4	5	6	7
1	डॉ शिव नारायण सिंह	5769	05.01.1956	24.08.1983	09.08.1999	---
2	डा0 एस0 एम0 अली ईमाम (सेवानिवृत्त)	---	22.03.1944	12.04.1975	09.08.1999	09.08.1999
3	डा0 ज्योति अग्रवाल	9664	09.01.1965	15.01.1991	19.12.2004	---
4	डा0 अवध अग्रवाल	8411	15.01.1960	07.11.1990	07.11.2002	---
5	स्व0 डा0 अखिलेश कुमार प्रसाद मृत्यु - 07.05.2017	7365	15.01.1958	16.03.1988	03.08.2003	---

- वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-4685(2) वि(2) दिनांक-25.03.2003 के प्रावधानों के तहत 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-1000-15200/- रुपये जिसका पुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100/- वेतन बैंड-पी0बी0-3, ग्रेड पे-6600/- रुपये एवं 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-12000-16500/- रुपये जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100/- वेतनबैंड-पी0बी0-3, ग्रेड पे-7600/- रुपये अनुमान्य है। वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 4685 वि(2) दिनांक-25.06.2003 के कड़िका-(1)(3) के आलोक में ए0सी0पी0 योजना दिनांक-09.08.1999 से प्रभावी है।
- इस अधिसूचना में जिन चिकित्सकों की सेवा अवधि अविनियमित रहने की सूचना है, उनकी अविनियमित अवधि के कारण ए0सी0पी0 की देय तिथि आगे बढ़ाया गया है। ऐसे मामले में ए0सी0पी0 दिये जाने के बाद यदि चिकित्सक सेवा अवधि के विनियमन का साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं तो प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आदेश से ए0सी0पी0 की देय तिथि तदनुसार संशोधन किया जायेगा। यदि किसी चिकित्सक की अविनियमित अवधि की सूचना ए0सी0पी0 की स्वीकृति के बाद प्राप्त होती है और ए0सी0पी0 की देय तिथि में परिवर्तन होता है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एकमुस्त संबंधित चिकित्सक से की जायेगी।
- इस अधिसूचना में किसी चिकित्सक का नाम/योगदान की तिथि/जन्म तिथि एवं ए0सी0पी0 की देय तिथि में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो इसके लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्राधिकृत हैं।
- इस उन्नयन के फलस्वरूप वेतन एवं पेंशन का निर्धारण (Fixation of Pay & Pension) वित्त विभाग के मौलिक नियमों (Fundamental Rules) के अनुसार होगा।
- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग अधिसूचित ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण के संबंध में वेतन पर्ची निर्गत करने के पूर्व उनकी देयता की जाँच पूर्ण रूप से कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक- 18(प्रो0को0)/ए0सी0पी0-01-02/2019 136(4) अस्वा0, पटना, दिनांक-20.8.19

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा. नि.को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वेतन पर्ची/प्राधिकार पत्र निर्गत होने के पूर्व अपने सेवा अभिलेख से यह सुनिश्चित हों लें कि सम्बन्धि चिकित्सा पदाधिकारी ए0सी0पी0 स्वीकृति हेतु सभी अर्हताएँ पूर्ण करते हैं।

प्रतिलिपि- अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सभी संबंधित सिविल सर्जन/सभी संबंधित प्राचार्य, अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी नियंत्री पदाधिकारी/निदेशक, आई0जी0आई0सी0, पटना/निदेशक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, अगमकुआँ, पटना/निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना/ निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष विभागीय प्रोन्नति समिति, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-सदस्य, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-सदस्य, विभागीय प्रोन्नति समिति, वित्त विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव/सदस्य-सह-संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक/स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी-2, 3, 7, 9 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।  
गम्